

अपडेट की जाएंगी।

♦ आपके द्वारा प्रदत्त राशि की सूचना आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर उपलब्ध होगी तथा खरीद करने पर खरीद राशि व शेष राशि की सूचना भी आपको तत्काल दिये गये मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो जाएंगी।

नियम और शर्तें

♦ स्वदेशी निष्ठा राशि विशुद्ध रूप से एक सहयोग है, जो पतंजलि के निर्णय पर कार्ड के टॉप-अप राशि पर दी जाएगी व टॉप-अप राशि में जोड़ दिया जाएगा।

♦ स्वदेशी निष्ठा सहयोग राशि अधिकतम 24 घंटे के अंतराल में आपके स्वदेशी समृद्धि कार्ड में जमा कर दी जाएगी।

♦ लेनदेन के समय एक Transaction Slip उत्पन्न होगी, जिसे विवरों की संवेदन के लिए जाँच करनी चाहिए। सम्ब्यवहार (Transaction) के किसी भी विवाद के सत्यापन एवं किसी भी आवश्यक कार्यवाही हेतु, लेन-देन Transaction Slip उपलब्ध करना आवश्यक होगा।

♦ स्वदेशी निष्ठा कार्ड द्वारा खरीद किया गया कोई भी उत्पाद वापस नहीं होगा, विशेष परिस्थितियों में केवल बदला जा सकता है।

♦ पतंजलि किसी ऐसे सदस्य की सदस्यता को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो योजना का उपयोग नियमों और शर्तों या योजना की भावना के विरुद्ध कार्य करता है। पतंजलि किसी भी ऐसे सदस्य की सदस्यता को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो स्थानीय या राज्य कानूनों या अध्यादेशों का असंगत तरीके से उल्लंघन करता है। परिणाम स्वरूप सदस्य स्वदेशी सहयोग राशि (वित्तीय सहायता) और योजना के तहत प्रदान किए गए सभी लाभों और विशेषाधिकारों से वंचित हो जाएंगे।

♦ योजना के नियमों की सभी व्याख्याएं पतंजलि के विवेकाधिकार पर होंगी।

♦ सदस्य जिह्वोंने लगातार छ: महीने तक कोई भी लेनदेन नहीं किया है, उन्हें सक्रिय सदस्यों की सूची से हटा दिया जाएगा।

♦ स्वदेशी समृद्धि कार्ड सदस्यता अहस्तांतरणीय (non-transferable) है और जमा राशि अपरक्रान्त (non-negotiable) है व नकदी द्वारा अप्रतिदेय (non-redeemable) है।

♦ कार्ड जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, लेकिन संस्थान द्वारा तय किए अनुसार नवीकरण शुल्क ₹25/- लेने पर कार्ड का नवीकरण किया जा सकता है।

♦ स्वदेशी समृद्धि कार्ड योजना के नियम और शर्तें बिना किसी पूर्ण सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं और अधिक जानकारी के लिए सदस्य www.swadeshisamridhi.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।

♦ योजना के लाभ के लिए सदस्यों को नामांकन के दौरान व्यक्तिगत और नामांकित व्यक्तिसंबंधित विवरण प्रदान करना होगा।

♦ केवल सदस्य मात्र बनने से स्वदेशी समृद्धि कार्ड के सभी लाभ के पात्र नहीं होंगे। इसके लिए स्वदेशी समृद्धि कार्ड योजना के सभी नियमों व शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक है।

♦ स्वदेशी समृद्धि कार्ड योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली किसी भी राशि पर कर आदि का भुगतान सदस्य को स्वयं वहन करना होगा।

अस्वीकरण और अधिकार क्षेत्र

♦ स्वदेशी समृद्धि कार्ड का लाभ उठाने के लिए सदस्य को स्वदेशी समृद्धि कार्ड योजना के सभी नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

♦ कार्ड धारक पतंजलि को अपना निजी डाटा व्यक्तित्व प्रस्ताव (Personalized

Offers) के लिए उपयोग करने की अनुमति देनी होगी।

♦ आवेन-पत्र पर हस्ताक्षर करके कार्ड धारक पतंजलि को ई-मेल (E-mail) और एस.एम.एस. (SMS) सहित सभी संभव मीडिया के माध्यम से उनके साथ संवाद करने की अनुमति देता है।

♦ सभी स्वदेशी समृद्धि कार्ड धारकों से अनुरोध है, कि वे अपना पिन नंबर सुरक्षित रखें ताकि कार्ड का किसी भी तरह का दुरुपयोग रोका जा सके।



पतंजलि®

पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड

पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क, यूनिट-111
ग्राम - पदार्था, लक्सर रोड, हरिद्वार-249404,
उत्तराखण्ड, भारत

संपर्क: टोल फ्री नं. 18001804108, 18601800180
ई-मेल: swadeshi.samridhi@patanjaliayurved.org
वेबसाइट: www.swadeshisamridhi.com

अधिकृत विक्रेता

दिव्य
साइटिफिक आयुर्वेद

पतंजलि®
प्रकृति का जागरीकरण

पतंजलि स्वदेशी समृद्धि सदस्यता कार्ड

आज ही अपना पतंजलि स्वदेशी समृद्धि कार्ड बनवाएं
व पतंजलि के स्वदेशी अभियान से जुड़कर देश को
आर्थिक और सांस्कृतिक आजादी दिलाएं

100% प्योरिटी, 100% प्रॉफिट से चैरिटी
व 50 से 100% तक से भी अधिक सस्ते उत्पाद


(विदेशी कम्पनियों के उत्पादों की तुलना में)

उत्पादों की खरीद पर पाएँ 5 से 10%* तक की विशेष छूट
(कैश बैक + कैश डिस्काउन्ट)

कार्ड धारक सदस्य की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर¹
अनुदान सहयोग राशि ₹5 लाख*

कार्ड धारक सदस्य की दुर्घटना में स्थाई रूप से विकलांगता पर¹
अनुदान सहयोग राशि ₹2.5 लाख*

सदस्यता शुल्क मात्र ₹100/-



'ब्राण्ड ट्रस्ट रिपोर्ट स्टडी इण्डिया-2017' ने एफ.एम.सी.जी
वर्ग में 11 हजार से ज्यादा ब्राण्ड्स के अंकलन के
बाद पतंजलि को बताया भारत का
'सबसे भरोसेमन्द एफ.एम.सी.जी ब्राण्ड'

आपकी बचत, सुरक्षा तथा देश सेवा का अभियान

“पतंजलि स्वदेशी समृद्धि सदस्यता कार्ड”

परिचय

स्वदेशी क्रांति के अग्रज युगऋषि श्रद्धेय रवामी रामदेव जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के तत्वाधान में पतंजलि परिवार द्वारा देशवासियों के लिए स्वदेशी से स्वास्थ्य व समृद्धि के एक नव अभियान का आरंभ है। कोई भी व्यक्ति जो कार्ड खरीदेगा (बाद में “सदस्य / कार्ड धारक”) पतंजलि एक्सक्लूसिव स्टोर्स पर स्वदेशी उत्पादों की खरीद पर विशेष लाभ के लिए पात्र होगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के कार्यान्वयन के लिए पतंजलि एक्सक्लूसिव स्टोर जैसे पतंजलि मेंगा स्टोर्स, पतंजलि चिकित्सालय और पतंजलि आरोग्य केंद्र, पतंजलि ग्रामीण आरोग्य केंद्र पूरे देश में ई-कॉर्मर्स वेबसाइट www.patanjaliayurved.net और मोबाइल ऐप- ऑर्डरमी इस अभियान में भागीदार होंगे। यह योजना मानवीय प्रधानमंत्री जी के डिजीटल पेमेंट (कैशलेस) योजना का सबसे बड़ा अभियान भी होगा।

कार्ड के लाभ

स्वदेशी समृद्धि कार्ड योजना की सदस्यता अपने सदस्यों को कार्ड में राशि लोड करने / पुनः लोड करने पर 7% अतिरिक्त लाभ अर्जित करने का अवसर प्रदान करती है। इस राशि का उपयोग केवल पतंजलि एक्सक्लूसिव स्टोर्स और ई-कॉर्मर्स वेबसाइट www.patanjaliayurved.net और मोबाइल ऐप “ऑर्डरमी” पर उत्पादों की खरीद के लिए किया जा सकता है। कार्ड के लाभ वेबसाइट www.swadeshisamridhi.com पर वर्णित योजना के विस्तृत नियम शर्तों के अधीन हैं।

कार्ड का विवरण

क्रमांक	विवरण	राशि (रुपये में)	
1.	सदस्यता शुल्क (एक बार, गैर-वापसी योग्य)	₹ 100 (कर सहित)	
2.	प्रथम टॉप-अप	₹ 500 या अधिक	
3.	कार्ड में किसी भी समय न्यूनतम शेष राशि	₹ 100	
4.	आपके द्वारा जमा राशि पर संस्थान द्वारा प्रदत्त “स्वदेशी निष्ठा” राशि	टॉप-अप राशि	स्वदेशी निष्ठा राशि
		₹ 4000 तक ₹ 4001 या अधिक	5% 7%*
5.	प्रतिदिन खरीद की अधिकतम सीमा	₹ 12,000	
6.	किसी भी समय अधिकतम शेष राशि की सीमा	₹ 50,000	
7.	एक माह में अधिकतम कैशबैंक की सीमा	₹ 490	

*उपरोक्त कैशबैंक के अतिरिक्त, (क) रुपये 500/- या उससे अधिक के एक बिल की राशि के लिए, पतंजलि केब्र 3% अतिरिक्त छूट प्रदान करेंगे।

कार्ड जारी करने की प्रक्रिया और पंजीकरण

- यह योजना स्वैच्छिक है एवं स्वैच्छा से देश का कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के स्वदेशी समृद्धि कार्ड का सदस्य बन सकता है।
- मौजूदा या संभावित ग्राहक पतंजलि एक्सक्लूसिव स्टोर अथवा वेबसाइट www.swadeshisamridhi.com से सदस्यता शुल्क ₹100/- (कर सहित) का भुगतान करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ₹500/- (व्यूनतम) की राशि का पहला रिचार्ज कर सेवा का लाभ ले सकते हैं।
- पंजीकरण की प्रक्रिया और पार्सल के लिए अनिवार्य ग्राहक जानकारी / विवरण जैसे- नाम, पिता / पति / अभिभावक का नाम, जन्म तिथि, स्थायी निवास का

पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल और स्वदेशी सहयोग (सहायता) के लिए नॉमिनी का नाम व पता आवश्यक है।

♦ सदस्यों को किसी भी बदलाव की स्थिति में तुरंत सूचित करना होगा। यदि कोई सदस्य तुरंत बदलाव की जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है, तो पतंजलि सदस्य या उसके नामित व्यक्ति को सेवाओं/दावों के वितरण में किसी भी देरी/विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

♦ पंजीकरण के समय सदस्य द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर पर व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) दी जाएगी। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि हमारी वेबसाइट www.swadeshisamridhi.com पर जाकर तुरंत पिन नंबर बदल दें।

कार्ड का प्रयोग

♦ यह योजना केवल पतंजलि एक्सक्लूसिव स्टोर्स पतंजलि मेंगा स्टोर्स, पतंजलि आरोग्य केंद्र, पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि वाहन चालक, पतंजलि ग्रामीण केंद्र और ई-कॉर्मर्स वेबसाइट - www.patanjaliayurved.net और मोबाइल ऐप - ORDERME ऐप पर उत्पाद खरीदने वाले सदस्यों के लिए है।

♦ पतंजलि किसी भी समय सदस्यों को सूचित किए बिना ऐसी सूची से पतंजलि एक्सक्लूसिव स्टोर्स को जोड़ या हटा सकते हैं। सदस्य स्टोर की अपडेट सूची के लिए वेबसाइट www.swadeshisamridhi.com देखें।

♦ प्रत्येक पतंजलि एक्सक्लूसिव स्टोर पीओएस मशीन और तकनीकी स्टाफ सहित आधुनिक तकनीक से सुसज्जित हैं, जो सदस्यों को कार्ड में उपलब्ध शेष राशि के अनुसार उत्पादों की खरीद हेतु कार्ड का उपयोग करने के लिए स्वदेशी समृद्धि एंड्रॉइड मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करने की सुविधा देते हैं।

♦ कार्ड की राशि का उपयोग केवल पतंजलि एक्सक्लूसिव स्टोर्स और वेबसाइट www.patanjaliayurved.net और मोबाइल ऐप - ORDERME से उत्पाद खरीदने के लिए किया जा सकता है। स्वदेशी निष्ठा राशि (कैशबैंक) की राशि किसी भी स्थिति में सदस्यों को वापस नहीं की जाएगी।

♦ स्वदेशी निष्ठा राशि (कैशबैंक) राशि का उपयोग दही, छाल (बटर मिल्क), पनीर आदि उत्पादों की चयनित श्रेणी के लिए नहीं किया जा सकता है। पतंजलि के पास किसी भी उत्पाद को हटाने/जोड़ने का अधिकार सुरक्षित है। सदस्यों को नियमित अंतराल पर वेबसाइट www.swadeshisamridhi.com देखने की सलाह दी जाती है।

टॉप-अप और व्यवस्थापन

♦ इस कार्ड को पतंजलि एक्सक्लूसिव स्टोर्स पर या पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन रिचार्ज किया जा सकता है - जिसका लिंक हमारी वेबसाइट www.swadeshisamridhi.com पर दिया गया है। पतंजलि एक्सक्लूसिव स्टोर्स पर रिचार्ज/टॉप अप करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि, ऑनलाइन टॉप अप/रीचार्ज के लिए भुगतान गेटवे शुल्क ग्राहक/सदस्य द्वारा वहन किया जाएगा।

सदस्यों के सहयोग हेतु विशेष अभियान

♦ पतंजलि ने कार्ड धारक/नॉमिनी को स्वदेशी सहयोग राशि (वित्तीय सहायता) प्रदान करने के लिए एक विशेष पहल की है। इसके अंतर्गत कार्ड धारक की मृत्यु पर ₹5.00 लाख और दुर्घटना में स्थायी विकलांगता पर ₹2.5 लाख वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।

♦ स्वदेशी सहयोग राशि (सहायता) तभी प्रदान की जाएगी जब कार्ड धारक ने दुर्घटना की तारीख से पिछले 180 दिनों में व्यूनतम ₹6000/- की खरीदारी कार्ड के माध्यम से की हो। दुर्घटना के कारण स्थायी अपंगता की स्थिति में स्वदेशी सहयोग राशि की राशि ₹2,50,000/- होगी।

♦ स्वदेशी निष्ठा सहयोग (वित्तीय सहायता) 1 से 75 वर्ष की आयु के सदस्यों के लिए उपलब्ध है।

♦ कार्ड धारक सैनिक/अर्ध सैनिक/पुलिस जिनकी मृत्यु/स्थायी विकलांगता आतंकवादी घटना जैसी गतिविधियों में हुई हो, उन्हें इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के उद्देश्य के लिए आकस्मिक दुर्घटना की परिमाण में शामिल किया जाएगा।

♦ जब किसी सदस्य की जमा उत्पाद खरीद किसी भी दिन व्यूनतम ₹6000/- तक पहुंच जाएगी, तो वह स्वदेशी सहयोग (वित्तीय सहायता) के लिए पात्र हो जाएगा। इसके बाद दैनिक आधार पर पात्रता का निर्धारण किया जाएगा। सदस्य को उसकी बीमा पॉलिसी के प्रभावी होने पर सूचित किया जाएगा।

♦ यह सदस्य को व्यय सुनिश्चित करना होगा कि पिछले 180 दिन के अंदर आपकी कुल खरीद 6000/- रुपये से कम न होने पाए अन्यथा इसकी किसी भी तरह की जवाबदेही संस्था की नहीं होगी।

♦ यदि खरीदे गए उत्पाद ₹6000/- से अधिक हैं, तो वह भी केवल 180 दिनों के लिए वैध होगा।

♦ सदस्य को पिछले 180 दिनों में कार्ड के माध्यम से कुल ₹6000/- की खरीदारी सुनिश्चित करनी होगी अन्यथा पतंजलि किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

♦ खरीद किये गये उत्पाद का कुल मूल्य यदि 6000/- रुपये से अधिक है, तो भी यह राशि केवल 180 दिनों के लिए ही मान्य होगी।

उदाहरण:- यदि आप प्रति माह 2000/- रुपये की खरीद करते हैं तो खरीद की गयी राशि कुल 12000/- रुपये है, तब भी यह राशि 6 माह अर्थात् 180 दिनों के लिए ही मान्य होगी।

♦ स्वदेशी सहयोग (सहायता) के लिए थोल प्री नंबर - 18001804108 पर पतंजलि को सूचित करें या swadesh.samridhi@patanjaliayurved.org पर भी ई-मेल करें। सत्यापन और सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन करने के बाद सदस्य वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगा, ये बीमार्का सदस्य को पात्रता के बारे में सूचित करेंगे और सीधे सदस्यों या उनके नॉमिनी के बैंक खाते में वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे।

♦ यह योजना कोई बीमा या शुल्क लेकर प्रदान किया जाने वाला व्यवसायिक अनुबन्ध नहीं है अपितु पतंजलि संस्थान द्वारा जनसेवार्य संचालित, राष्ट्र सेवा की भावना से प्रदत्त अनुदान/ सहयोग राशि मात्र है।

♦ पतंजलि इन बीमार्का दावों की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सदस्य / नॉमिनी की मदद / मार्गदर्शन कर सकता है।

शुल्क

♦ कार्ड जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जिसे वार्षिक नॉमिनीकरण/स्वैच्छाव शुल्क ₹25/- (कर सहित) का भुगतान करके वर्ष के आधार पर नॉमिनीकृत किया जा सकता है।

♦ कार्ड के खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति व प्रतिस्थापन कार्ड शुल्क ₹100/- (कर सहित) देय होगा।

सदस्यों की सहायता

♦ प्रत्येक लेनदेन का ऑनलाइन और ऑफलाइन विवरण उपलब्ध होगा।

♦ गोपनीय पिन के खो जाने व कार्ड को ब्लॉक कराने के लिए कृपया हमारे थोल प्री नं. 18001804108, ई-मेल swadeshi.samridhi@patanjaliayurved.org पर सम्पर्क करें।

♦ सभी आवश्यक सूचनाएं ऑनलाइन और पतंजलि अधिकृत स्टोर के माध्यम से